

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (S-536) अलेसे-I/ 249-252 दिनांक:- 27/04/2023

श्री सुरेन्द्र सिंह रत्न,
सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I,
स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग,
क्षेत्रीय कार्यालय प्रथम,
जयपुर।

कारण बताओ नोटिस

विषय:- नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं करने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के आदेश क्रमांक 111 दिनांक 15.01.2023 के द्वारा आपका स्थानान्तरण कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय प्रथम, जयपुर से कार्यालय महानिरीक्षक वायरलेस, जयपुर में किया गया था, किन्तु आप द्वारा आदिनांक नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं किया गया। आप द्वारा उक्त आदेशों की पालना नहीं करना निदेशालय एवं राजकीय आदेशों की स्पष्ट अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप निदेशालय के आदेश दिनांक 15.01.2023 की पालना में अतिशीघ्र नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करें एवं आदिनांक नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं किये जाने के सम्बंध में अपना स्पष्टीकरण सात कार्य दिवसों में आवश्यक रूप से इस निदेशालय को प्रस्तुत करें कि, उक्त कृत्य के लिये क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावें।



(राजेन्द्र प्रसाद रैंगर)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)

क्रमांक:- एफ.2 (क) (S-536) अलेसे-I/ 249-252 दिनांक:- 27/04/2023
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय प्रथम, जयपुर।
2. महानिदेशक, पुलिस दूरसंचार, तकनीकी एवं एससीआरबी, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 581 दिनांक 20.04.2023 क्रम में सूचनार्थ।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)